

18 सितंबर, 2020

सरकारी आदेश 2020-55

सरकारी आदेश 2020-55
(कोविड-19 सरकारी आदेश संख्या 51)

जबकि, मार्च 2020 के आरंभ से इलिनॉय ने एक ऐसी वैश्विक-महामारी का सामना किया है जो असाधारण रूप से बीमारी एवं जनहानि का कारण बनी है, तथा 270,000 से भी अधिक लोगों को संक्रमित कर चुकी है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, इसने हजारों निवासियों की जान ले ली है; और,

जबकि, सारे समय पर विशेष रूप से किसी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान, इलिनॉय वासियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का संरक्षण करना राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक होता है; और,

जबकि, इलिनॉय कोरोनावायरस रोग 2019 (COVID-19) द्वारा उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा का सामना कर रहा है और इसके अनुरूप स्वयं को ढाल रहा है, यह रोग एक बिल्कुल नया, गंभीर, तीव्र श्वसन रोग है जो श्वसन संचरण के माध्यम से तेजी से फैलता है और यह कि अभी-भी इसका कोई प्रभावी उपचार या टीका नहीं मिला है और इससे संपूर्ण राज्य में निवासियों, स्वास्थ्य देखभाल कर्ताओं, प्रथम प्रतिक्रियादाताओं और सरकारों पर जो भारी दबाव पड़ा है वह अभूतपूर्व है; और,

जबकि, चूंकि राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिजास्टर प्रोक्लेमेशन्स) के दौरान COVID-19 इलिनॉय में फैल चुका है, और संपूर्ण राज्य में आपदा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां बदल चुकी हैं एवं लगातार बदल रही हैं, तो ऐसे में अगले कुछ माह में वायरस का प्रसार का मार्ग क्या होगा इसका निर्णायक पूर्वानुमान लगाना अत्यंत कठिन हो गया है; और,

जबकि, 8,400 से भी अधिक इलिनॉय वासियों को दुखद मृत्यु देने एवं दसियों हजार और निवासियों के शारीरिक स्वास्थ्य को तबाह करने के अतिरिक्त, COVID-19 ने विपुल आर्थिक हानि भी की है और यह अभी-भी लगातार पूरे राष्ट्र एवं राज्य में बड़ी संख्या में व्यक्तियों एवं व्यवसायों की आर्थिक खुशहाली को खतरे में डाल रहा है; और,

जबकि, 18 सितंबर, 2020 को, COVID-19 के जारी प्रसार के अपेक्षित रूप से जारी रहने, और राज्य भर के लोगों द्वारा आगामी महीनों में जो लगातार हो रहे स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभाव महसूस किए जाएंगे उनपर विचार करते हुए, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

जबकि, ऊपर वर्णित महामारी की आपातस्थिति और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातस्थिति की प्रतिक्रिया में, मैं सरकारी आदेशों 2020-03, 2020-04, 2020-07, 2020-08, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-15, 2020-16, 2020-17, 2020-20, 2020-21, 2020-22, 2020-23, 2020-24, 2020-25, 2020-26, 2020-27, 2020-28, 2020-29, 2020-30, 2020-34, 2020-35, 2020-36, 2020-41, 2020-42, 2020-43, 2020-45, 2020-47, 2020-50, 2020-51, और 2020-54 को पुनः जारी करना आवश्यक पाता हूँ और उन सरकारी आदेशों के जबकि खंडों को एतद्वारा सम्मिलित करता हूँ;

अतः इलिनॉय के राज्यपाल के रूप में मुझे प्राप्त शक्तियों द्वारा, और इलिनॉय के संविधान एवं इलिनॉय आपातकाल प्रबंधन अधिकरण अधिनियम (इलिनॉय एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट), 20 ILCS 3305 के अनुभागों 7(1), 7(2), 7(3), और 7(8), 7(9) और 7(12) के अनुसरण में, और सार्वजनिक स्वास्थ्य कानूनों में निहित शक्तियों के अनुरूप, मैं एतद्वारा निम्नलिखित आदेश देता हूँ जो 18 सितंबर, 2020 से प्रभावी होगा:

भाग 1: सरकारी आदेशों का पुनः जारी किया जाना।

सरकारी आदेश 2020-03, 2020-04, 2020-07, 2020-08, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-15, 2020-16, 2020-17, 2020-20, 2020-21, 2020-22, 2020-23, 2020-24, 2020-25, 2020-26, 2020-27, 2020-28, 2020-29, 2020-30, 2020-34, 2020-35, 2020-36, 2020-41, 2020-42, 2020-43, 2020-45, 2020-47, 2020-50, 2020-51, और 2020-54 को इस सरकारी आदेश 2020-55 द्वारा निम्नवत एतद्द्वारा पुनः जारी किया जाता है:

सरकारी आदेश 2020-04 (जेम्स आर. थॉम्पसन (James R. Thompson) सेंटर का बंद होना ; राज्य कर्मचारियों के लिए बीमारी छुट्टी आवश्यकता का त्याग):

कार्यकारी आदेश 2020-04 के अनुभागों 2, और 3 को पुनः जारी किया जाता है एवं 17 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है। अनुभाग 2 में शामिल कोई भी बात केंद्रीय प्रबंधन सेवाएं विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ सेंट्रल मैनेजमेंट सर्विसेज़) को राज्य कर्मचारियों, राजकीय कार्यों में भाग लेने/के लिए कार्य करने वाली आम जनता, और वे जनसामान्य जो व्यवसायों तथा फूड कोर्ट के नियमित ग्राहक हैं, के लिए जेम्स आर. थॉम्पसन सेंटर में प्रवेश और निकास के विशिष्ट बिंदु निर्धारित करने तथा यातायात नियंत्रित करने से वर्जित नहीं करती है।

सरकारी आदेश 2020-07 (व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मिलने की आवश्यकताएं):

कार्यकारी आदेश 2020-33 और कार्यकारी आदेश 2020-44 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-07 के अनुभाग 6 को 17 अक्टूबर, 2020 को फिर से जारी और विस्तारित किया गया है।

सरकारी आदेश 2020-08 (राज्य संचालन सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट ऑपरेशंस):

कार्यकारी आदेश 2020-39 और कार्यकारी आदेश 2020-44 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-08 के अनुभाग 3, 4 और 5 को 17 अक्टूबर, 2020 तक फिर से जारी और विस्तारित किया गया है।

सरकारी आदेश 2020-09 (टेलिहेल्थ):

कार्यकारी आदेश 2020-52 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-09 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 17 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2020-11 (इलिनॉय सुधार विभाग (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ करेक्शंस) अधिसूचना अवधि):

कार्यकारी आदेश 2020-11 का अनुभाग 4 पुनः जारी किया जाता है एवं 17 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2020-12 (स्वास्थ्य देखभाल कर्मी पृष्ठभूमि जांच; इलिनॉय किशोर न्याय विभाग (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ जूवेनाइल जस्टिस) अधिसूचना अवधि):

कार्यकारी आदेश 2020-12 के अनुभागों 1, और 3 को पुनः जारी किया जाता है एवं 17 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2020-15 (इलिनॉय स्कूल संहिता (स्कूल कोड) के उपबंधों का स्थगन):

कार्यकारी आदेश 2020-15 के अनुभागों 5, 6, 7, 8, और 9 को पुनः जारी किया जाता है एवं 17 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2020-16 (सुरक्षा सेवाओं के लिए आवश्यक कक्षा प्रशिक्षण का स्थगन):

कार्यकारी आदेश 2020-16 का अनुभाग 2 पुनः जारी किया जाता है एवं 17 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2020-03 एवं 2020-17 (भाग (केनाबिस) संबंधी समय-सीमाएं एवं आवेदन):

सरकारी आदेश 2020-18 द्वारा यथा संशोधित सरकारी आदेश 2020-03 एवं 2020-17 पुनः जारी किए जाते हैं और सरकारी आदेश 2020-18 द्वारा निर्दिष्ट किए अनुसार प्रभावी रहेंगे।

सरकारी आदेश 2020-20 (सार्वजनिक सहायता आवश्यकताएं):

कार्यकारी आदेश 2020-20 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 17 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2020-21 (इलिनॉय सुधार विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ करेक्शन्स) के कैदियों का अवकाश):

कार्यकारी आदेश 2020-21 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 17 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2020-22 (बाल देखभाल अधिनियम 1969 के अंतर्गत प्लेसमेंट्स ; स्वास्थ्य देखभाल कर्मी पृष्ठभूमि जांच अधिनियम के अंतर्गत अंगुलियों के निशानों की प्रस्तुतियां):

कार्यकारी आदेश 2020-22 के अनुभागों 4, 5, और व्यावृत्ति खंड (सेविंस क्लॉज को पुनः जारी किया जाता है एवं 17 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2020-23 (आपदा प्रतिक्रिया में संलग्न लाइसेंसशुदा पेशेवरों के लिए इलिनॉय वित्तीय एवं पेशेवर नियमन विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़ाइनेंशियल एंड प्रोफ़ेशनल रेगुलेशन) द्वारा की गई कार्रवाइयां):

कार्यकारी आदेश 2020-23 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 17 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2020-24 (इलिनॉय मानव सेवाएं विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन सर्विसेज़) न्यायिक उपचार कार्यक्रम (फ़ॉरेंसिक ट्रीटमेंट प्रोग्राम); इलिनॉय मानव सेवाएं विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन सर्विसेज़) के कर्मचारियों की जांच पड़ताल):

कार्यकारी आदेश 2020-24 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 17 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2020-25 (ऋणानुबंध (गारनिशमेंट) एवं वेतन कटौतियां):

सरकारी आदेश 2020-25, नीचे अनुसार संशोधित और पुनरीक्षित, को उसकी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है और 17 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

अनुभाग 1. इलिनॉय नागरिक कार्यविधि संहिता (कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर) के प्रावधानों के

अनुभाग 5/12-705, 5/12-805, और 5/2-1402, 735 ILCS 5/12-705, 735 ILCS 5/12-805, और 735 ILCS 5/2-1402, जो उपभोक्ता देनदार या उपभोक्ता अनुक्रमणी (गारनिशी) पर ऋणानुबंध आह्वान (गारनिशमेंट सम्मन), वेतन कटौती आह्वान (वेज डिडक्शन सम्मन), या परिसंपत्तियों की खोजबीन का आधिकारिक बुलावा (साइटेशन) तामील करने की अनुमति देते हैं, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिजास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की अवधि के दौरान स्थगित किए जाते हैं।

अनुभाग 2. पूर्वगामी के बावजूद, इस सरकारी आदेश में कुछ भी घरेलू समर्थन दायित्वों को लागू करने के लिए नहीं किया जाएगा, जिसमें चाइल्ड सपोर्ट और स्पॉजल मेंटेनेंस के दायित्व शामिल हैं,

या इलिनॉय वेज पेमेंट एंड कलेक्शन एक्ट, 820 ILC 115, मिनिमम वेज लॉ, 820 ILCS 105,

या प्रिवेंटिंग वेज एक्ट, 820 ILCS 130 के अनुसार किसी भी कार्यवाही के लिए

सरकारी आदेश 2020-26 (अस्पताल की क्षमता):

सरकारी आदेश 2020-26 के अनुभागों 2(e), 6, 7, 8, 9 और 10 को पुनः जारी किया जाता है एवं 17 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2020-27 (COVID-19 परीक्षण में पॉजिटिव पाए गए शव):

कार्यकारी आदेश 2020-27 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 17 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2020-28 (औद्योगिक रेडियोग्राफी प्रमाणन):

सरकारी आदेश 2020-28, नीचे अनुसार संशोधित और पुनरीक्षित, को उसकी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है और 17 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

अनुभाग 2. किसी भी औद्योगिक रेडियोग्राफी प्रमाणपत्र या औद्योगिक रेडियोग्राफी प्रशिक्षु

प्रमाणपत्र के लिए जो कालातीत हो चुका है या राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं की अवधि के

दौरान कालातीत हो जाएगा, IEMA-DNS, औद्योगिक रेडियोग्राफर और औद्योगिक

रेडियोग्राफर प्रशिक्षुओं के प्रमाणपत्रों की वर्तमान समयावधि को 90-दिवसों की बढ़ती में

प्रशासनिक रूप से विस्तारित कर सकता है, जो प्रारंभिक 5 या 2 वर्ष की अवधि से परे ~~छह~~ नौ

महीने की अधिकतम अवधि से अधिक नहीं होगा, ताकि लोगों को परीक्षा के मानदंडों को पूरा

करने के लिए समय मिले। औद्योगिक रेडियोग्राफर और औद्योगिक रेडियोग्राफर प्रशिक्षु IEMA-

DNS द्वारा निर्धारित अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे

सरकारी आदेश 2020-29 (पेशेवर बीमा लाइसेंसों का व्यक्तिगत शिक्षण या परीक्षा):

कार्यकारी आदेश 2020-29 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 17 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2020-30 (आवासीय निष्कासन की कार्रवाइयों की फाइलिंग ; -आवासीय

निष्कासन आदेशों का प्रवर्तन; कालातीत (एक्सपायर) हो चुके दतावासीय (कौंसुलर)

पहचान दस्तावेज़; इलिनॉय मानवाधिकार आयोग (ह्यूमन राइट्स कमीशन) के लिए

इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग: :

कार्यकारी आदेश 2020-48 और कार्यकारी आदेश 2020-52 द्वारा संशोधित के रूप में कार्यकारी आदेश 2020-30 को इसकी संपूर्णता में फिर से जारी किया गया है और 17 अक्टूबर, 2020 तक विस्तारित किया जाता है।

सरकारी आदेश 2020-34 (भांग संबंधी आवश्यकताएं):

कार्यकारी आदेश 2020-34 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 17 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2020-35 (इलिनॉय विभाग सार्वजनिक स्वास्थ्य नियामक गतिविधियां, (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ रेगुलेटरी एक्टिविटीज):

कार्यकारी आदेश 2020-35 के अनुभागों 14, 15, 16, और 17 को पुनः जारी किया जाता है और 17 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2020-36 (विवाह अनुज्ञाप (लाइसेंस)):

कार्यकारी आदेश 2020-36 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 17 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2020-41 (खेलों पर दांव लगाना):

कार्यकारी आदेश 2020-41 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 17 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2020-42 (राजकीय मेले):

कार्यकारी आदेश 2020-42 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 17 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2020-43 (चरण 4 समुदाय पुनर्जीवन आदेश):

सरकारी आदेश 2020-43, नीचे अनुसार संशोधित और पुनरीक्षित, को उसकी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है और 17 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

4. अपवाद।

- a. **मुक्त धर्मपालन.** यह कार्यकारी आदेश मुक्त धर्मपालन को सीमित नहीं करता है। धार्मिक नेताओं, कर्मचारियों, धार्मिक समाज/सभा के सदस्यों/भक्तगणों, और आगंतुकों के स्वास्थ्य व सुरक्षा के संरक्षण के लिए, धार्मिक संगठनों एवं उपासना गृहों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे इलिनॉय जन स्वास्थ्य विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ) से परामर्श करें और विभाग द्वारा अनुशंसित परिपाटियों एवं दिशानिर्देशों का पालन करें। जैसा कि IDPH दिशानिर्देशों में वर्णित है, इस समय धार्मिक संगठनों के लिए सबसे सुरक्षित परिपाटी यही है कि वे अपनी सेवाएं ऑनलाइन, ड्राइव-इन प्रारूप में, या बाहर खुले में (तथा सामाजिक दूरी की आवश्यकताओं और फ्रेस कवर पहनने से संबंधित मार्गदर्शन की अनुरूपता में) प्रदान करें, और भवन के अंदर की सेवाओं को 10 लोगों पर सीमित करें। धार्मिक संगठनों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे सामाजिक दूरी, फ्रेस कवर के उपयोग, और सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्य उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के कदम उठाएं।

- b. **आपातकालीन कार्य।** सभी प्रथम उत्तरदाता, आपातकालीन प्रबंधन कर्मी, आपातकालीन डिस्पैचर, न्यायालय कर्मी, कानून प्रवर्तन और सुधार कर्मी, खतरनाक सामग्री उत्तरदाता, बाल संरक्षण और बाल कल्याण कर्मी, आवास और आश्रय कर्मी, सैन्य, आपातकालीन प्रतिक्रिया को सपोर्ट करने वाले अन्य सरकारी कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से इस कार्यकारी आदेश द्वारा छूट दी गई है, लेकिन सामाजिक दूरी बनाए रखने और सिफारिश किए गए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- c. **सरकारी कार्य।** यह कार्यकारी आदेश संयुक्त राज्य सरकार पर लागू नहीं होता है और उन सभी सेवाओं को प्रभावित नहीं करता है जो राज्य या किसी भी नगर निगम, टाउनशिप, काउंटी, उपखंड या सरकार की एजेंसी द्वारा प्रदान की जाती हैं और सरकारी एजेंसियों के निरंतर संचालन को सुनिश्चित करने या जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण प्रदान करने या समर्थन करने के लिए आवश्यक है।
- d. **चुनाव संबंधी कार्य।** यह कार्यकारी आदेश 2020 के आम चुनाव में मतदान या मतदान से संबंधित कर्तव्यों का पालन करते हुए किसी भी चुनाव प्राधिकरण, मतदान स्थल या व्यक्ति पर लागू नहीं होता है। 2020 के आम चुनाव में राज्यव्यापी सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी प्रक्रियाएँ इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ के में पोलिंग लोकेशन में COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए, गाइडेंस के लिए चुनी गई हैं, जो कि <https://www.dph.illipedia.gov/2020election> पर उपलब्ध हैं।

सरकारी आदेश 2020-45 (भाग (कैनबिस) लाइसेंस):

सरकारी आदेश 2020-45 अपनी संपूर्णता में फिर से जारी किया जाता है और जैसा कि सरकारी आदेश 2020-45 द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, प्रभावशील रहेगा।

सरकारी आदेश 2020-47 (प्रीK-12 स्कूलों में व्यक्तिगत निर्देश):

कार्यकारी आदेश 2020-47 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 17 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2020-50 (काउंटी जेल से इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ करेक्शंस में स्थानांतरण फिर से शुरू):

कार्यकारी आदेश 2020-50 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 17 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2020-51 (मेट्रो पूर्व क्षेत्र शमन):

कार्यकारी आदेश 2020-51 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 17 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2020-54 (अतिरिक्त मेट्रो पूर्व क्षेत्र शमन):

कार्यकारी आदेश 2020-54 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 17 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

भाग 2: सरकारी आदेशों का मसूखी। सरकारी आदेश 2020-53 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

भाग 3: सेविंग्स क्लॉज़ यदि इस सरकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर इसके अनुप्रयोग को सक्षम अधिकार-क्षेत्र के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी भी अन्य प्रावधान या इस सरकारी आदेश के अनुप्रयोग को प्रभावित नहीं करती है, जिसे अमान्य प्रावधान या अनुप्रयोग के बिना प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस सरकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया गया है।

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker),

राज्यपाल (Governor)

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा 18 सितंबर, 2020 को जारी

राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा दायर 18 सितंबर, 2020